न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 889/2022

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।
2. मेनपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। – प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काष्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता सं0 128/128 की कुल 5.5660है0 में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 लालचन्द पुत्र मुखराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण का पि[illegible] है [illegible] नाम अन्यत्र कृषि भूमि होने के कारण उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है क्योंकि प्रतिवादी [illegible] के नाम रोही मौजा 10 एसपीएम तहसील रावतसर में अलग कृषि [illegible]मि दर्ज है इसलिए [illegible] हक व हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया स0 2 वादीगण की बहिन है उक्त भमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी स0 1 व वादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण की बहिन है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संवत 2071–74 के खाता सं0 128/128 की कुल 5.5660है0 में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा रावतसर तहसील में अन्य कृषि भूमि स्थित होने के कारण अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। प्रतिवादी 2 जो की वादीगण के बहन है के द्वारा भी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता सं0 128/128 की कुल 5.5660है0 में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 व वादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 889/2022

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।
2. मेनपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी 10 एसपीएम टी सरदारपुरा खालसा त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता सं0 128/128 की कुल 5.5660है0 में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 व वादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करंते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर